अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक Amit kumar, (निबंधन सं0–1160025), At-Vijay Nagar, PO-Lohiya Nagar, P.S- Patrakar Nagar. Patan-20 को कार्य प्रमंडल, खगड़िया के अधीन **Construction of RCC Bridge over Budhi Gandak river in Tikarampur Panchayat Banarsi Rai Tola Near Mansi Madir Chowk** पथ का कार्य आवंटित था। जिसका एकरारनामा संख्या–19SBD/2016-17 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि–31.01.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि–30.01.2019 थी।

क्षेत्रीय अभियंताओं से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय सकारण आदेश सह पठित ज्ञापांक–451 दिनांक–19.01.2023 द्वारा संवेदक Amit kumar, (निबंधन सं0–1160025) को अगले 10 वर्षों के लिए Blacklist किया गया। इस सकारण आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC No-10084/2023 (अमित कुमार बनाम् बिहार राज्य) दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–01.08.2023 को अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यशील अंश निम्नवत् है।

Concerned respondent is hereby directed to file a counter affidavit before the next date of hearing. The concerned respondent before filing counter affidavit, he or she is hereby directed to take note of our decision passed in CWJC No-7105 of 2023 decided on 14.07.2023 so as to ascertain if there is any compliance in the present case or not ? In the meanwhile, concernd authorities are hereby directed to permit the petitioner to participate in future tender. Such Participation is subject to the outcome of the present petition.

CWJC No-7105/2023 (जयशंकर राय बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–14.07.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है:–

In the light of these facts and circumstances, petitioner has made out a case only to the extent of interfering with blacklisting him for a period of ten years and it is set aside.

Matter is remanded to the competent authority to undertake fresh steps in the light of Apex Court decision cited supra to the extent that notice must be very specific insofar as blacklisting a person or a firm. The above exercise shall be undertaken within a period of three months from the date of receipt of this order.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No-10084/2023 में दिनांक–01.08.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय ज्ञापांक–4380 दिनांक–10.08.2023 द्वारा संवेदक अमित कुमार के Blacklisting से संबंधित विभागीय ज्ञापांक–451 दिनांक–19.01.2023 को निरस्त किया गया तथा संवेदक के विरूद्ध नये सिरे से Specific Notice निर्गत कर अग्रेतर नियमसंगत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

पुनः विभागीय पत्रांक–4503 दिनांक–21.08.2023 द्वारा संवेदक को Specific Notice निर्गत करते हुए पन्द्रह दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गई। संवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–03 09.2023 को उपलब्ध कराया गया। संवेदक का कहना है कि एकरारनामा विखंडन के कारण ही उनके विरूद्ध Blacklisting की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और उनके द्वारा एकरारनामा विखंडन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC No-10073/2023 दायर किया गया है। इस प्रकार संवेदक द्वारा अपने बचाव में कोई ठोस तथ्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(125)

विभागीय समीक्षोपरांत संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकारण को अस्वीकृत करते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007, अधिसूचना सं0–8123 दिनांक–19.12.2007 तथा पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय आदेश सं0–154 दिनांक–18.06.2015 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में संवेदक Amit kumar, (निबंधन सं0–1160025), At-Vijay Nagar, PO-Lohiya Nagar, P.S- Patrakar Nagar, Patna-20 को अगले 10 वर्षो के लिए Blacklist किया जाता है।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–मु0अ0–4(मु0)कालीसूची–10–03/2023 - 5951 /पटना, दिनांकः–21/11/23

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–मु0अ0–4(मु0) कालीसूची–10–03/2023 - 5951 /पटना, दिनांकः–21/11/23

प्रतिलिपिः–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–मु0अ0–4(मु0) कालीसूची–10–03/2023 - 5951 /पटना, दिनांकः–21/11/23

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–मु0अ0–4(मु0) कालीसूची–10–03/2023 - 5951 /पटना, दिनांकः–21/11/23

प्रतिलिपिः– संवेदक Amit kumar, (निबंधन सं0–1160025), At-Vijay Nagar, PO-Lohiya Nagar, P.S- Patrakar Nagar, Patna-20 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव